

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 40 / 2026)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

www.trai.gov.in
नई दिल्ली, 23 मार्च 2026

तत्काल प्रकाशन हेतु


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन" 2024 (2024 का 7) की समीक्षा" पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाई।

- नई दिल्ली, 23 मार्च 2026 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 27 फरवरी 2026 को "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन" 2024 (2024 का 7) की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से इनपुट/टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि पहले 23 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी।
- उपर्युक्त परामर्श पत्र पर इनपुट/टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने के लिए उद्योग संघों और हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- उद्योग संघों, हितधारकों और दूरसंचार उपभोक्ताओं से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनियमन" 2024 (2024 का 7) की समीक्षा" पर परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां, या कोई अतिरिक्त सुझाव, परामर्श पत्र के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित विशिष्ट प्रारूप में ट्राई की वेबसाइट पर अथवा adv-qos1@traai.gov.in को ja.qos1@traai.gov.in पर प्रतिलिपि के साथ 30 मार्च 2026 तक भेजे जा सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें: -

श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (सेवा गुणवत्ता-1)

E-mail: adv-qos1@traai.gov.in | Tel: +91-11-20907759


(अतुल कुमार चौधरी) 23/3/26
सचिव, भादूविप्रा